नम्बर व अहकाम की तामील में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला—टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्याः— 16 / 2023 निर्णय दिनांक :— 10.10.2023

उनवानी दावा :

1. रामकल्याण पुत्र श्योनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. पोखर पुत्र जीवन जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. रामकरण पुत्र श्योनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम दोलतपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी देवली
2. तहसीलदार देवली / दूनी जिला टोंक (राज.)
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी दोलतपुरा तहसील देवली जिला टोंक
4. जिला कलेक्टर

— अप्रार्थीगण—

उपस्थिति :—

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या संख्या 3
तहसीलदार दूनी
अप्रार्थीगणसंख्या 2 ता 3

प्रार्थना पत्र

—:निर्णयः—

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली माननीय न्यायालय आर. ए. ए. टोंक ने श्री मान जिला कलेक्टर टोंक के आदेश—एफ.7 (3) आवंटन / 2002 / 500 दिनांक 15.01.2002 को अपास्त करते हुए न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के मध्यनजर स्कूल एवं खेल मैदान हेतु आवंटित आदेश दिनांक 15.1.2002 अपास्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी देवली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि क्या स्कूल भवन खसरा नम्बर 454 रकबा 0.15 है0 में निर्मित है तथा उक्त स्कूल भवन के नजदीक खेल मैदान हेतु पर्याप्त व उपयुक्त सिवाय चक भूमि उपलब्ध है एवं आवंटित की जा सकती है, अथवा नही। या खसरा नम्बर 521 मे ते आवंटित भूमि रकबा 0.80 है० ही उपयुक्त है, आदि की जाँच कर

पुन आवंटन बाबत विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जावे। दाराने कार्यवाही अपीलांट को बेदखल किया जाना न्यायहित में नहीं होगा। अतः विचारण न्यायालय प्रकरण का शीघ्रातिशीघ्र 6 माह में निस्तारण करे तब तक अपीलांट को मौकों से बेदखल नहीं किया जावे।

माननीय न्यायालय आर.ए.ए से प्राप्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आवंटन आदेश आदेश–एफ.7 (3) आवंटन/2002/500 दिनांक 15.01.2002 के विरूद्ध अपील पेश की। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली की अभिशंषा पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी दौलतपुरा पंचायत घाड तहसील देवली को प्रशासन गाँव के संग अभियान 2001 में दिए गए प्रार्थना पत्र पर दिनांक 15. 01.2002 को जरिये पत्र क्रमांक एफ. 7 (3) राजस्व/ 2002 / 500 दिनांक 15.01.2002 के तहत आराजी खसरा नम्बर 521 ग्राम घाड में से 0.80 है0 भूमि भवन व खेल मैदान हेतु निशुल्क 99 वर्ष की अवधि के लिए आवंटन किया गया है।

प्रार्थीगण के अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बर 521 पीछले 50 वर्षों से पडत भूमि नहीं है. उक्त भूमि पर अपीलांटस के पिता श्योनाथ पुत्री देवी लाल व जीवन पुत्र देव्या उर्फ देवी लाल का कब्जा रहा है. उनकी मृत्योपरान्त अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पूर्व मे बजड व खाल थी जिसको अपीलांटस के पूर्वजों ने लेवल कर खेती योग्य तैयार की है, जिस पर खेती कर रहे हैं। जिनका का खसरा परिवर्तनशील से दर्ज है। शर्तों को पालना रेस्पो. सं. 3 ने नहीं की है न ही 6 माह के भीतर या अब तक किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। उक्त भूमि की रेस्पो0 सं. 3 को कतई आवश्यकता नहीं है। आवंटन दिनांक 15.1.2002 की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं थी। विद्यालय द्वारा अपीलाटस को कुएँ पर स्थित मकान को हटाने बाबत कहने पर नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई, जिसको कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 मय शपथ पत्र पृथक से पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर कार्यालय जिला कलेक्टर टोक के आदेश क्रमांक एफ. 7 (3) आवंटन राजस्व/2002/500 दिनांक 15.1.2002 की पालना में खसरा नम्बर 521 रकबा 0.80 है0 राजकीय प्राथमिक विद्यालय दोलपुरा के भवन व खेल मैदान हेतु आवंटन किया गया है, को निरस्त कराया जाकर अपीलांटस के हक मे नियमन किए जाने का आदेश प्रदान करें।

माननीय न्यायालय द्वारा स्कूल व खेल मैदान हेतु आवंटित आदेश आदेश–एफ.7 (3) आवंटन/2002/500 दिनांक 15.01.2002 को अपास्त कर दिया व प्रकरण उपखण्ड अधिकारी देवली को प्रतिप्रेषित किया।

माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से श्री रमेश कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादीगण संख्या 3 की ओर से श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

माननीय न्यायायलय आर. ए.ए के निर्देश के क्रम में तहसीलदार दूनी से विवादित खसरा नम्बर के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार द्वारा पत्रांक/राजस्व/16/1802 दिनांक 23.1216 से तथ्यात्मक रिपार्ट प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैः—प्रासांगिक पत्र की पालना में मौका निरीक्षण किया गया। भूमि ग्राम दौलतपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि ख0नं0 521 रकबा 0.80 उपयुक्त है। अन्य सिवायचक भूमि आस पास नहीं है, जिसे आवंटित करवाया जा सके।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

उक्त रिपोर्ट पर अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से गसित बताकर आपति की जाने पर पुनः तहसीलदार दूनी को पुनः फैक्चुअल रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार दूनी को लिखा गया।

दिनांक 31.07.23 से तहसीलदार दूनी द्वारा पुनः फैक्चुअल रिपोर्ट पत्रांक राजस्व /2023 /303 से न्यायालय हाजा में पेश की गई जो इस प्रकार हैः—ग्राम दौलतपुरा के आराजी ख0न0 454 रकबा 0.15 हे0 में रा० उ०प्रा०वि० दौलतपुरा का भवन निर्मित है। वर्तमान में उक्त आराजी खाना पुत्र दयाला जाति मीणा वर्ग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार ने भवन निर्माण की विद्यालय प्रशासन को पूर्व में ही सहमति देना बताया। स्कूल भवन के आस—पास स्थित राजकीय भूमियां ख. नं. 439/0.07, 440/0.05, 441/0.05, 442/0.02 किस्म गै. मु. बाडा दर्ज है, मौके पर बाड़े बने हुए है जो आशिक पक्का निर्माण भी है एवं उक्त भूमियों पर बरसाती नाले (मोती सागर बांध) का पानी भरा रहता है जो खेल मैदान हेतु उपयुक्त नहीं है। आराजी ख. नं. 521 रकबा 0.80 है0 (हाल ख0न0 559 रकबा 0.80 है0) स्कूल हेतु खेल मैदान हेतु आवंटन है जो डामरीकृत सड़क के लगवा व ग्राम आबादी मे ही स्थित है एवं स्कूल भवन से लगभग 400 मी0 की दूरी पर है। जो बच्चों के खेल मैदान हेतु उपयुक्त है।

पत्रावली पुनः बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रशासन गांवो के संघ अभियान में पटवारी द्वारा ख.नं. 521 का सही रूप से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। इस भूमि पर वर्षो से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में भी कब्जा है। तहसीलदार दूनी द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त रिपोर्ट पेश की गई है। अतः आवंटन को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार से दो बार रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें आराजी ख. नं. 521 रकबा 0.80 है0 (हाल ख0न0 559 रकबा 0.80 है0) को स्कूल हेतु खेल मैदान हेतु उपयुक्त बताया है

जो डामरीकृत सड़क के लगवा व आबादी भूमि मे ही स्थित है और स्कूल भवन से लगभग 400 मी0 की दूरी पर है। जो बच्चो के लिए ज्यादा दूरी नहीं है। अतः आवंटन बहाल रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक निर्णय दिनांक 30.12.2013 में दिये गये निर्देशो के आलोक में तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। । तहसीलदार द्वारा पत्रांक/राजस्व/16/1802 दिनांक 23.12.16 व तहसीलदार दूनी द्वारा पुनः फैक्वुअल रिपोर्ट पत्रांक राजस्व /2023 /303 दिनांक 31.07.23 के अवलोकन से स्पष्ट तौर जाहिर है कि विद्यालय के नाम कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नहीं है। आराजी ख. नं. 454 रकबा 0.15 है0 में रा. उ. प्रा. वि. दोलतपुरा का भवन निर्मित है जो वर्तमान में खातेदार खाना पुत्र दयाला जाति मीणा वगै. के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार ने भवन निर्माण की विद्यालय प्रशासन को पूर्व में सहमति देना रिपोर्ट से जाहिर है। आराजी ख. नं. 521 रकबा 0.80 है0 (हाल ख0न0 559 रकबा 0.80 है0) स्कूल हेतु खेल मैदान हेतु आवंटन थी जो डामरीकृत सड़क के लगवा व ग्राम आबादी मे ही स्थित है एवं स्कूल भवन से लगभग 400 मी0 की दूरी पर है, जो बच्चों के खेल मैदान एवं संस्थन के विकास हेतु उपयुक्त है।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि मामला जनहित व छात्रों के हित व उनके सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल के साथ खेल मैदान का होना अतिआवश्यक है तथा उक्त ग्राम में स्कूल भवन व खेल मैदान हेतु कोई अन्य भूमि आवंटन योग्य नहीं है। अतः आराजी ख. नं. 521 रकबा 0.80 है0 (हाल ख0न0 559 रकबा 0.80 है0) ही खेल मेदान के लिए उपयुक्त है। अतः पुनः आवंटन हेतु विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.10.2023 को सुनाया गया।

10/10/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली